प्रेस नोट दिनांक 18.08.2025

थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा 10 वर्षीय बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या करने वाले हत्यारोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा 315 बोर मय कारतूस, आला कत्ल ब्लेड, घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.08.2025 को रात्रि करीब 10:30 बजे श्री सखावत पुत्र मोहम्मद नबी निवासी ग्राम टिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी ने अपने 10 वर्षीय बेटे के शाम 5:00 बजे के करीब घर से गुम होने की सूचना दी । वादी की सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

वादी के बेटे की तलाश हेतु पुलिस टीमें बनाकर लगाई गई तो जांच के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी के फोन पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर फिरौती हेतु मैसेज भेजा गया कि 10 लाख रुपए लेकर पश्चिम के जंगल में आ जाओ तो लड़का सुरक्षित मिल जाएगा। इस तथ्य के आधार पर गहराई से जांच और छानबीन की गई। गुमशुदा की तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त वसीम पुत्र नफीस अंसारी निवासी ग्राम टिटौली का नाम प्रकाश में आया। घटना के अनावरण के लिए लगाई गई टीमों के प्रयास से प्रकाश में आये अभियुक्त वसीम पुत्र नफीस को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने बच्चे को बहला फुसला कर अपहरण करके समय शाम करीब 7 बजे बच्चे को बसीट नदी के पास खेत में ब्लेड से गला काटकर हत्या करके वही तिल के खेत में बच्चे के शव को छुपा दिया था तथा बाद में फिरौती बसूलने के लिए करीब 10 बजे रात में मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे के पिता को 10 लाख रुपए देने के लिए एक मैसेज किया था। अभियुक्त वसीम की निशानदेही पर वादी के 10 वर्षीय पुत्र का शव खेत से बरामद किया गया और पंचायतनामा तैयार पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

मुठभेड़/ गिरफ्तारी/आला कत्ल की बरामदगीः-

अभियुक्त वसीम से गहनता से पूछताछ की गई और हत्या में प्रयोग किए जाने वाले आला कत्ल ब्लेड और मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की गई तो इसने घटना के बाद घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और हत्या में प्रयुक्त ब्लेड को घटना स्थल से थोड़ी दूर जंगल की झाड़ियों में छुपा देना बताया, जिसकी बरामदगी के उद्देश्य से पुलिस टीम अभियुक्त वसीम को लेकर उसके बताएं हुए स्थान पर पहुंची तो अभियुक्त वसीम द्वारा अकस्मात मौका पाकर झाड़ियों में छिपाई गयी अपनी मोटर साइकिल के बैग से तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की गयी तो अभियुक्त वसीम के दाहिने पैर के घुटने और बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगने पर घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस एवं अभियुक्त की निशानदेही पर बच्चे की हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक ब्लेड व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी फतेहगंज पश्चिमी भेजा गया। प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ पर अपने सगे ममेरे 10 वर्षीय भाई (वादी का पुत्र) को बहला फुसलाकर अपहरण कर शाम करीब 7 बजे हत्या कर शव को खेत में छुपा देने और फिर रात में करीब 10 बजे एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से मृतक बालक आहिल के पिता शाखावत नवी को 10 लाख रुपए देने के लिए एक मैसेज किया था उक्त अभियुक्त द्वारा बच्चे की

गला रेतकर हत्या कर शव को थाना शाही क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विक्रमपुर के जंगल में छिपा दिये जाने की घटना की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि वह ग्राम टिटौली का रहने वाला है, उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है, कक्षा 03 तक पढ़ा है और कुछ दिन गुजरात प्रान्त में कारपेन्टर का काम भी कर चुका है, लेकिन पिछले काफी दिनों से उसके पास कोई रोजगार नहीं था, उसे मंहगी बाईकें व मोबाइल फोन रखने तथा ब्रान्डेड कपड़े व जूते पहनने का शौक है। कोई रोजगार न होने के वजह से काफी दिनों से वह आर्थिक तंगी में था, जबकि उसके सगे मामा (वादी) सखावत दिल्ली से सेकेन्ड हैड बाईकें लाकर गांव शोराह में बाईक सेल्स/पर्चेस का व्यापार करते है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसी के चलते उसने अपने महंगें शौक पूरा करने के उद्देश्य से अपने सगे मामा के बेटे का अपहरण कर शाम करीब 7 बजे थाना शाही के ग्राम विक्रमपुर के जगंल में ले जाकर ब्लेड से गला रेतकर हत्या करके बच्चे के शव को तिल की घने फसल के खेत में छिपा दिया। रात्रि 10 बजे के करीब व्हाट्सएप नं0 पर 10 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गयी थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. वसीम पुत्र नफीस अंसारी निवासी ग्राम टिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली उम्र 23 वर्ष । (घायल)

<u>बरामदगीः-</u>

1. आला कत्ल ब्लेड ।
2. एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस ।
3. 01 मोबाइल फोन, 02 मोटर साईकिल ।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

1. मु0अ0सं0 328/2025 धारा 137(2) बीएनएस, धारा वृद्धि 140(2)/238/103(1) बीएनएस ।
2. मु0अ0सं0 329/2025 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट (मुठभेड़) ।

<u>पुलिस टीम का विवरणः--</u>

1. नि0 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
2. नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा, प्रभारी एसओजी-1 मय टीम ।
3. नि0 श्री देवेन्द्र सिंह धामा, प्रभारी एसओजी-2 मय टीम ।
4. उ0नि0 श्री पुनीत थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
5. उ0नि0 श्री अनूप कुमार, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
6. मुख्य आरक्षी 599 रवि कुमार, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
7. मुख्य आरक्षी 978 भूपेन्द्र सिंह, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
8. मुख्य आरक्षी 984 विक्की, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
9. मुख्य आरक्षी 637 प्रदीप कुमार, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
10. आरक्षी 3735 जितेन्द्र कुमार, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
11. आरक्षी 88 लेखपाल, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
12. आरक्षी 3304 अंकित कुमार, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।
13. आरक्षी 2745 लवी कुमार, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।